SDO प्रा.पत्र प्र.सं. 14/2023 Online No. 2023/34
Smt. मोगी देवी / भैरू लाल बलाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता[रीख] अहकाम जो हुक्म की ता[मील में] जारी हु[ए]
13/1/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित, बाहर कई आवाजें लगाई गई, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी गयी, अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पृथक से लिखकर मय तकमील शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	**दायर दिनांक**	**निर्णय दिनांक**
14/2023	**01.02.2023**	**13.06.2023**

अनवान

1. श्रीमती मांगी देवी बलाई पत्नी श्री भैरूलाल बलाई निवासी कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0

प्रार्थिया

बनाम

1. भैरू लाल बलाई पुत्र श्री मांगू बलाई,
2. सत्यनारायण वैष्णव पुत्र श्री नाथूदास वैष्णव,
3. बंशीदास पुत्र श्री मांगी लाल वैष्णव
   निवासीगण कोदूकोटा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री जी.एल. पाण्डे, घनश्याम चन्देल– प्रार्थिया
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, भू.अ.नि. क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 770 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 960/2 रकबा 0.0855 है0 एवं आराजी सं. 960/3 रकबा 0.0700 है0 भूमि प्रार्थिया के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है और विपक्षीगण आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थिया की उक्त वर्णित आराजियात का पूर्व में सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे मेड़ पाली की घास काटने आदि के बारे में प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थिया की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थिया अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थिया आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा कोदूकोटा, पटवार हल्का कोदूकोटा, भू.अ. नि. क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 770 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 960/2 रकबा 0.0855 है0 एवं आराजी सं. 960/3 रकबा 0.0700 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थिया से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी।
भीलवाड़ा